



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092026-275926
CG-DL-E-02092026-275926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4647]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4647]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2026

का.आ. 4834(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.3496 (अ), तारीख 29 जून, 2026 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग-730C के कि.मी.3.500 काली नदी, कि.मी.39.840 गंगा नदी, कि.मी.53.250 रामगंगा नदी पर नए 2-लेन/4-लेन मेजर ब्रिज एवं कि.मी.31.425, कि.मी.31.710 व कि.मी.44.665 पर 03 माइनर ब्रिज के निर्माण/चौड़ीकरण(दो/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18 जुलाई, 2026 को "दैनिक जागरण" (हिन्दी) और "द टाइम्स आफ इण्डिया" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग-730C के कि.मी.3.500 काली नदी, कि.मी.39.840 गंगा नदी, कि.मी.53.250 रामगंगा नदी पर नए 2-लेन/4-लेन मेजर ब्रिज एवं कि.मी.31.425, कि.मी.31.710 व कि.मी.44.665 पर 03 माइनर ब्रिज के निर्माण/चौड़ीकरण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: मैनपुरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भोगांव					
गांव का नाम: गजियाँपुर					
1	20	सामान्य	कृषि/गैर कृषि	0.0078	राजेन्द्रसिंह पुत्र रघुनाथसिंह, हुण्डीलाल पुत्र रघुनाथसिंह, सत्यपालसिंह पुत्र ज्वालाप्रसाद, प्रेमचन्द्र, सुभाषचन्द्र पुत्रगण रोशनलाल, उत्तर प्रदेश सरकार 20
2	21	सामान्य	कृषि/गैर कृषि	0.1072	राजेन्द्रसिंह पुत्र रघुनाथसिंह, हुण्डीलाल पुत्र रघुनाथसिंह, सत्यपालसिंह पुत्र ज्वालाप्रसाद, प्रेमचन्द्र, सुभाषचन्द्र पुत्रगण रोशनलाल, उत्तर प्रदेश सरकार 21
3	22	निजी	कृषि	0.1176	राजेन्द्रसिंह पुत्र रघुनाथसिंह, हुण्डीलाल पुत्र रघुनाथसिंह, सत्यपालसिंह पुत्र ज्वालाप्रसाद, प्रेमचन्द्र, सुभाषचन्द्र पुत्रगण रोशनलाल 22
4	66	निजी	कृषि	0.0451	अभिषेक कुमार पुत्र मनभावन 66
गांव का नाम: सकत बेवर					
5	435	सरकारी	गैर कृषि	0.007	उत्तर प्रदेश सरकार 435

6	438	निजी	कृषि	0.5267	अनारकली पत्नी स्व० रमेशचन्द्र, हुकुमसिंह, प्रदीप कुमार, भोला, शोबरन पुत्रगण रमेशचन्द्र, किशनपाल पुत्र राजबहादुर, नेकराम पुत्र राजबहादुर, महेन्द्रसिंह पुत्र राजबहादुर, सुरेन्द्र सिंह पुत्र राजबहादुर, सूरजमुखी पत्नी राजबहादुर, मनोज कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह, ज्योती चौहान पत्नी मनोज कुमार, इन्द्रपाल पुत्र विशाल, केशव पुत्र हरनाथ, छविनाथ पुत्र विशाल, छोटी पत्नी विशाल सिंह, पारौल पुत्र हरनाथ, भैयालाल पुत्र विशाल, मनफूल पुत्र हरनाथ, राज कपूर पुत्र हरनाथ, वाबूराम पुत्र खिल्ला, सहदेव सिंह पुत्र हरनाथ, साजन पुत्र हरनाथ, सियाराम पुत्र विहारी, सुनैना पत्नी हरनाथ 438
Total				0.8114	

[फा. सं. CE-RO/NH(O)/NH-730C/2024-253D2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2026

S.O. 4834(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3496(E) Dated:29.06.2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of new 2-Lane/4- Lane Major bridges at Km.3+500 on Kali River, Km.39+840 on Ganga River, Km.53+250 on Ramganga River & 03 Minor Bridges at Km.31+425, Km.31+710, Km.44+665 of NH-730C in the district of Mainpuri in the state of Uttar Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Jagran**” (Hindi) and “**The Times of India**” (English) both dated **18th July, 2026** under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act.

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures for Construction of new 2-Lane/4-Lane Major bridges at Km.3+500 on Kali River, Km.39+840 on Ganga River, Km.53+250 on Ramganga River & 03 Minor Bridges at Km.31+425, Km.31+710, Km.44+665 of NH-730C in the district of Mainpuri in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: MAINPURI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhogaon					
Village: Gazianpur					
1	20	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.0078	Rajendra Singh S/o Raghunathsingh, Hundilal S/o Raghunath singh, Satyapalsingh S/o Jabalaprasad, Premchandra, Subhashchandra S/o Roshanlal, Government of Uttar Pradesh 20
2	21	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.1072	Rajendra Singh S/o Raghunathsingh, Hundilal S/o Raghunath singh, Satyapalsingh S/o

					Jabalaprasad, Premchandra, Subhashchandra S/o Roshanlal, Government of Uttar Pradesh 21
3	22	Private	Agriculture	0.1176	Rajendrasingh S/o Raghunathsingh, Hundilal S/o Raghunath Singh, Satyapalsingh S/o Jabalaprasad, Premchandra, Subhashchandra S/o Roshanlal 22
4	66	Private	Agriculture	0.0451	Abhishek Kumar S/o Manbhavan 66
Village: Sakat Bewar					
5	435	Government	Non Agriculture	0.007	Government of Uttar Pradesh 435
6	438	Private	Agriculture	0.5267	Anarkali W/o late Rameshchra, Hukum Singh, Pradeep Kumar, Bhola, Shobran S/o

					Rameshchra Kishanpal, Nekram, Mahendra Singh, Surendra Singh, Surajmukhi W/o Rajbahadur, Manoj Kumar S/o Surendra Singh, Jyoti Chauhan W/o Manoj Kumar, Indrapal S/o Vishal, Keshav S/o Harnath, Chhavinath S/o Vishal, Chhoti W/o Vishal Singh, Paraul S/o Harnath, Bhaiyalal S/o Vishal, Manphool S/o Harnath, Rajkapoor S/o Harnath, Baburam S/o Khilla, Sahdev Singh S/o Harnath, Sajan S/o Harnath, Siyaram S/o Bihari, Sunaina W/o Harnath. 438
Total				0.8114	

[F. No. CE-RO/NH(O)/NH-730C/2024-253D2]

SHAIKH AMINKHAN, Director